

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में

श्रीमति दान कौर पत्नी स्व० श्री पूर्णलाल  
मकान नं० 26, गली नं० 1, विकास नगर,  
कंकर वाली, रेवाड़ी।

क्रमांक :-स्था०/०२/२०१७/ १५५५५

दिनांक :- १३-५-१८

विषय:-


कार्यग्रहण न करने बारे।

उपरोक्त विषय पर कार्यालय आदेश दिनांक ०१.०२.२०१८ के संदर्भ में।


विषय सम्बंध में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा गान्धीय मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना में आपका स्थानांतरण रेवाड़ी से अम्बाला किया गया था परन्तु आप द्वारा सहायक श्रम आयुक्त, अम्बाला के कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि सहायक श्रम आयुक्त, अम्बाला के कार्यालय में शीघ्र अपना कार्यग्रहण करे अन्यथा उसके विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाने बारे मामला उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

पृ० क्रमांक: स्था०/०२/२०१८/ १५५५६

दिनांक: १३-५-१८

  
उप अधीक्षक (स्था०)  
कृते: श्रम आयुक्त हरियाणा।  
९

इसकी एक प्रति सहायक श्रम आयुक्त, रेवाड़ी व अम्बाला को सूचनार्थ भेजी जाती है।

  
उप अधीक्षक (स्था०)  
कृते: श्रम आयुक्त हरियाणा।  
९